

www.jagran.com

जागरण सिटी

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2007


दिल्ली

दिल्ली को पेरिस बनाने के स्वप्न के साथ तीसरा मास्टर प्लान तैयार है। इसे लागू करने से पहले ही विरोध और समर्थन में अलग-अलग स्वर उठने लगे हैं। टाउन प्लानर व पर्यावरणविदों ने हाल में बैंड-बाजे के साथ प्रदर्शन कर मास्टर प्लान-2021 का बैंड ही बजा डाला। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि नए मास्टर प्लान से दिल्ली वाकई में पेरिस में बदल पाएगी? इस बारे में पेश है दिल्ली विकास प्राधिकरण के पूर्व टाउन प्लानर आर.जी.गुप्ता की राय :

मेरी समझ में मास्टर प्लान-2021 सार्वजनिक दस्तावेज है। अगर सरकार और जनता मिलकर 10 साल तक निरंतर कार्य करें, तो दिल्ली निश्चित तौर पर पेरिस जैसी बन सकती है। हालांकि इसके लिए जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। राजधानी का क्षेत्रफल 1487 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली के लिए पहला मास्टर प्लान 1962 में, दूसरा 1990 में और तीसरा अब 2007 में बना है। जिस रफ्तार से दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए वर्ष 2021 तक दिल्ली की आबादी 2.3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वक्त के हिसाब से लोगों की जरूरतों में भी बदलाव आया है। पहले लोगों के पास दोपहिया वाहन हुआ करते थे, आज हर 'ठीक-ठाक' घर में दो-तीन

सवाल : मास्टर प्लान-2021 से क्या दिल्ली पेरिस बन पाएगी?

मिल-जुलकर हो काम, तो सबकुछ मुमकिन



गाड़ियां हैं। दरअसल, कार रखना स्टेट्स सिंबल बन चुका है। इसके विपरीत सड़कें संकरी हो गई हैं। घर से गली में गाड़ी घुमाकर निकालने में कुछ तो वायुप्रदूषण होता ही है। मास्टर प्लान में सरकार के सामने जनसंख्या, पर्यावरण और परिवहन व्यवस्था में सामंजस्य बिठाना कड़ी चुनौती है। इसके लिए नए मास्टर प्लान की रूपरेखा तैयार की गई है। जनसंख्या की दृष्टि से मास्टर प्लान में कम घनत्व वाले क्षेत्र, नियमित, अवैध और अनियमित कॉलोनी के अलावा,

गांवों के पुनर्विकास की बात भी कही गई है। 2000 मीटर या अधिक क्षेत्रफल के प्लॉटों पर 5 से 7 मंजिला फ्लैट बनाने के साथ उसमें व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जगह छोड़ने और वाहन पार्किंग व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। दरअसल, बढ़ती जनसंख्या पर आप रोक नहीं लगा सकते।

परिचय

आर.जी.गुप्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण में 1965 से 1994 तक टाउन प्लानर रहे।



चण्डीगढ़ में 1964 में टाउन प्लानर रहे और फरीदाबाद की विकास संरचना बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा, वे डीएसआईसी, डीएलपीपीसी, स्लम विभाग एवं सीबीएसई के प्लानिंग पॉलिसी विभाग में भी कार्यरत रहे हैं।

कॉलोनियों के बीच में खाली प्लॉट व नालों को कवर कर उन पर फ्लैट या मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाने का सुझाव है। मेट्रो के दोनों ओर आधा किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे मकान और दुकान बनाने की बात भी की गई है, ताकि परिवहन व्यवस्था में सुधार हो सके और लोगों को अपने घर से ही गंतव्य तक मेट्रो की सुविधा मिल सके।

इन सभी योजनाओं पर अगर सरकार अमल कर पाई, तो दिल्ली को पेरिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें पार्कों के नीचे पार्किंग, प्लॉटों के ऊपर व नीचे पार्किंग, 80 फुट चौड़ी सड़कों पर दुकानों के लिए पार्किंग बनाया जाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

इसके लिए यह भी जरूरी है कि पहले दिल्ली की जनता मास्टर प्लान पढ़े, उसे समझे और उसके अनुरूप विकास में सहयोग दे। ध्यान रहे कि 20 साल में क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कई प्लान बने हैं। मास्टर प्लान तो एक पॉलिसी है, जिसके आधार पर हमें हर पांच साल के लिए क्षेत्र तथा

स्थानीय जरूरत के अनुसार प्लान बनाने होंगे। मास्टर प्लान में रिग रोड चौड़ी करने, मुख्य मार्गों को मल्टीलेवल करने, 12 सड़कों के नीचे से मार्गों के निर्माण की योजना है। मेट्रो के विस्तार से भी परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। वैसे, मास्टर प्लान-2021 में बहुत सी खामियां भी हैं, क्योंकि इसमें लैंड पॉलिसी और प्लानिंग पॉलिसी नहीं दी गई है। किसी भी प्लान को पास करने का अधिकार केवल डीडीए को दिया गया है। इसमें फाइनेंस पॉलिसी का जिक्र नहीं है, जबकि पहले मास्टर प्लान में 12 अध्याय केवल फाइनेंस पॉलिसी पर ही थे। पहले मास्टर प्लान में अवैध बस्तियों के बारे में जिक्र नहीं था, इस मास्टर प्लान में है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र अनियमित कॉलोनी व अवैध बस्तियों से घिरा है। इनको कैसे बसाना है, इस बात का जिक्र नहीं है, बल्कि इनके पुनर्विकास की बात कही गई है। जरूरत मूल्यांकन की नहीं, बल्कि क्रांतिकारी सोच और पहल की है। इसी तरह पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो 1977 से अब तक यमुना के सौंदर्यकरण के लिए कई प्लान बने। राजधानी का रिज एरिया 7700 हेक्टेयर है। इसमें किसी प्रकार का निर्माण न हो तथा हैरिटेज बिल्डिंग व ऐतिहासिक इमारतों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए तो हरियाली पर्याप्त है।

प्रस्तुति : एस.के.गुप्ता

